

## Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



## Violation letter/उल्लंघन पत्र

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: 4383/MCDR-MiFLOLST/15/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM दिनांक: /01/2024

प्रेषित: खान एजेंट,  
श्यामगढ़ चुनापत्थर खान,  
मेसर्स श्री सिमेन्ट लिमिटेड,  
बांगुर नगर, ब्यावर-305901

जिला: ब्यावर (राज.)

(e-mail: [mahendra.garg@shreecement.com](mailto:mahendra.garg@shreecement.com), [gaurav.chauhan@shreecement.com](mailto:gaurav.chauhan@shreecement.com))

विषय: राजस्थान राज्य के ब्यावर जिले में स्थित आपकी श्यामगढ़ चुनापत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 04/01/2024 by undersign in presence of Sri Gaurav Chauhan, Mine Manager of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 25/11/2019 to the extent given below for the year 2022-23: (1) The dumping of the waste over waste dump number 1 was proposed between the grids E180 to E310. However, dumping of the waste over waste dump number 1 was observed between grids E180 to E385. Resulting deviation in waste dumping.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

I/24646/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, ब्यावर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर